

कार्यालय, कलेक्टर, बलौदाबाजार—भाटापारा (छोगो)

Phone : 07727-223444

Fax : 07727-223445

email : balodabazar.cg@nic.in

क्रमांक/५७९ /वि.लि./2023

बलौदाबाजार दिनांक ३०.०५.२०२३

//प्रेस विज्ञप्ति//

छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ १३-१/२०२३/आ.प्र./१-३ नवा रायपुर दिनांक ०३.०५.२०२३ एवं छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ ४-०४/२०२३/सात-२ दिनांक ०९.०५.२०२३ में दिये गये निर्देशानुसार कार्यालय कलेक्टर जिला बलौदाबाजार—भाटापारा के राजस्व विभाग (जिला स्थापना एवं भू-अभिलेख) में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किये जाने हेतु निर्धारित योग्यता धारक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर जिला बलौदाबाजार—भाटापारा के नाम से दिनांक २१.०६.२०२३ तक आमंत्रित किये जाते हैं।

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाइट cg.nic.in/balodabazar एवं कार्यालयीन सूचना पटल पर देखे जा सकते हैं।

पृ.क्रमांक/५८० /वि.लि./2023

प्रतिलिपि :-

१. सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय बलौदाबाजार को सूचनार्थ। स्थानीय एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
२. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बलौदाबाजार को जिले के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
३. जिला नाजिर जिला कार्यालय बलौदाबाजार को कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

कलेक्टर

जिला बलौदाबाजार—भाटापारा

बलौदाबाजार दिनांक ३०.०५.२०२३

कलेक्टर

जिला बलौदाबाजार—भाटापारा

कार्यालय, कलेक्टर, बलौदाबाजार—भाटापारा (छोगो)

Phone : 07727-223444

Fax : 07727-223445

email : balodabazar.cg@nic.in

क्रमांक/५४८ /वि.लि./2023

बलौदाबाजार दिनांक 30.05.2023

// तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन //

सचिव छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 4-04/2023/सात-2 दिनांक 09.05.2023 के अनुक्रम में राजस्व विभाग में जिला स्थापना एवं भू-अभिलेख शाखा के अंतर्गत जिले में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छ.ग. राज्य के इच्छुक निवासियों से जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के नीचे उल्लेखित विभिन्न पदों पर पर सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कलेक्टर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के पते पर दिनांक 21.06.2023 सायं 05.00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। कुरियर अथवा अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। रिक्त पदों की संख्या/वर्गवार विवरण निम्नानुसार है :-

राजस्व विभाग (वित्त स्थापना)

क्र.	पदनाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			निःशक्त जन
			मु.	म.	भू.पू. से.	मु.	म.	भू.पू. से.	मु.	म.	भू.पू. से.	मु.	म.	भू.पू. से.	
1	सहायक ग्रेड-03	26	9	3	1	3	1	1	3	0	0	3	1	1	2 (OL)
2	स्टेनोटायपिस्ट	14	4	2	1	3	0	0	1	0	0	3	0	0	1 (OL)
3	वाहन चालक	13	4	2	1	2	0	0	1	0	0	3	0	0	0
4	भृत्य	21	6	3	2	2	1	1	2	0	0	2	1	1	1 (OA, OL, OAL)
5	अर्दली	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6	चौकीदार	9	3	1	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0
7	फर्राश	6	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
8	प्रोसेस सर्वर	14	4	2	1	3	0	0	1	0	0	3	0	0	1 (OA)
योग		106	34	13	7	17	2	2	10	0	0	17	2	2	5

OA- One Arm, OL- One Leg, OAL- ONE Arm & One Leg

भ—अभिलेख शाखा

(01) महत्वपूर्ण टीप-

- आवश्यकतानुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी।
- उपरोक्त सभी नियुक्ति एवं चयन प्रक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668 / 2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगी।
- चयन हेतु अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार भाटापारा को होगा।

(02) शैक्षणिक व अन्य अहंताएँ :-

1. स्टेनोटायपिस्ट

वेतनमान 5200—20200+ ग्रेड पे 1900 (मैट्रिक्स लेवल-4)

- मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण ।
अथवा
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
- हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी।)
- मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 5,000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी।)
- मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र

2. सहायक ग्रेड-03

वेतनमान 5200—20200+ ग्रेड पे 1900 (मैट्रिक्स लेवल-4)

- मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण ।
अथवा
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
- मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का गति 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी।)
- मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र ।

3. वाहन चालक

वेतनमान 5200–20200+ ग्रेड पे 1900 (भैट्रिक्स लेवल-4)

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला (कक्षा 8वीं) परीक्षा उत्तीर्ण।
2. हल्का मोटर यान का वैध अनुज्ञाप्तिधारी (लायसेंस) हो।
3. अनुभव को प्राथमिकता। (निर्धारित 05 अंक) अधिकतम।
4. योग्यता निर्धारण के लिए ड्राईविंग का दक्षता परीक्षण किया जावेगा, जिसके लिए कोई अंक देय नहीं होगा।

4. (भूत्य, अर्दली, चौकीदार, फर्रश, प्रोसेस सर्वर)

वेतनमान 4750–7440+ ग्रेड पे 1300 (भैट्रिक्स लेवल-1)

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अथवा संस्था से कक्षा पांचवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र।
2. अनुभव को प्राथमिकता। (निर्धारित अधिकतम अंक-05)

(03) नियम एवं शर्तः—

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. विज्ञापन की तिथि में समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत हो जावेगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थितियों में बाद की तिथि में प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। अतः अर्हता को सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करे, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. आयु सीमा:- दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण की लो हो तथा अधिकतम 35 वर्ष हो। होना चाहिये। छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ ३-२२/2015/१-३ अटल नगर रायपुर दिनांक 30.01.2019 अनुसार छ.ग. के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकत आयु सीमा (35वर्ष) में 05 वर्ष की छूट देय होगी।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 05 वर्ष, महिलाओं के लिए 10 वर्ष तथा सभी प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार की छूट सहित अधिकतम आयु सीमा की छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। निःशक्तजनों के अभ्यर्थियों को 03 वर्ष की आयु सीमा में अतिरिक्त छूट होगी, परन्तु यह छूट 45 वर्ष की आयु सीमा तक ही सीमित होगा।
5. किसी प्रवर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर वह पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से भरा जा सकेगा।
6. उच्चत आयु सीमा में छ.ग. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत छूट की पात्रता होगी। यदि उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गयी है, तो संबंधित दस्तावेज /प्रमाण पत्र अनिवार्यतः दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदक को आवेदन पत्र साथ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये छ.ग. का मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

8. छ.ग. के किसी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें। (शासकीय सेवकों को संबंधित कार्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है।)
9. आवश्यक दस्तावेज़ :- आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण अनुसार जन्म दिनांक हेतु पांचवी/अठवी/दसवीं की अंकसूची, हायर सेकेण्डरी स्कूल की अंकसूची, सक्षम प्राधिकारी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्था से जारी कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र, जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, भूतपूर्व भौतिक प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि उक्त रिक्त पद हेतु आवेदन भरा गया हो, तो) आदि आवश्यक दस्तावेज़ की स्व-प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. कम्प्यूटर अहंता हेतु छ.ग. शासन द्वारा मान्यता किये गये प्रमाण पत्रों को ही स्वीकार किये जायेंगे।
11. पद के लिए निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अहंताएं न्यूनतम हैं और इन अहंताओं के होने मात्र से ही आवेदक नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।
12. आवेदक अपनी अहंता की जांच स्वयं कर लें और अहंता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेंजें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, किसी भी प्रकार की पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर को छोड़कर) के आवेदकों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
14. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदन पत्र तत्काल अमान्य कर दिये जावेंगे।
15. लिफाफे के उपर टॉप में अपना नाम, आरक्षण का वर्ग एवं पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखें। पृथक-पृथक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन करें।
16. आवेदक आवेदन के साथ सादे लिफाफे में अपना पत्र व्यवहार का वर्तमान पता स्पष्ट पिन कोड सहित लिखा हुआ रु. 10/- डाक टिकट चस्पा किया हुआ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17. आवेदक का आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा निर्धारित तिथि/समय तक जिला कार्यालय बलौदाबाजार में पहुंचना अनिवार्य होगा। उक्त दोनों माध्यम के अतिरिक्त एवं नियत तिथि/समय के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। और न ही उन पर विचार किया जोवगा।
18. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र :- यदि अभ्यर्थी छ.ग.शासन एवं भारत सरकार के अधीन कार्यरत शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम मंडल/उपक्रम में कार्यरत हो, तो वे आवेदन कर सकते हैं, उन्हे अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख से जारी "अनापत्ति प्रमाण पत्र" की मूल प्रति दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. छ.ग.लोक सेवा (महिलाओं के लिए नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार विज्ञापित पदों के 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।

20. विवाहित महिला उम्मीदवारों का उपनाम परिवर्तन संबंधी मूल शपथ पत्र भी संलग्न किया जावें।
21. उम्मीदवारों द्वारा नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जावे।
22. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य विवरण कार्यालयीन समय में जिला कार्यालय बलौदाबाजार के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाईट cg.nic.in/balodabazar में उपलब्ध है।
23. किसी भी विवाद/आपत्ति में अंतिम निर्णय कलेक्टर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का होगा।
24. नियुक्ति प्राधिकारी-नियुक्ति कलेक्टर जिला कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा की जावेगी।
25. विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत् सूचना प्रकाशित होगी। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
26. चयनित उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करते समय आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
27. चयनित उम्मीदवार का चारित्रिक सत्यापन उनकी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् पुलिस से कराया जायेगा और पुलिस से अयोग्य प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
28. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी। अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा:-

प्रथम वर्ष

— उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत।

द्वितीय वर्ष

— उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत।

तृतीय वर्ष

— उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत।

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।

(04) चयन प्रक्रिया :-

(!) छ.ग. राजपत्र क्रमांक 459 दिनांक 19.11.2018 में छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर द्वारा प्रकाशित अनुसार केवल मेरिट के आधार पर चयन के नायेन से भर्ती किया जायेगा। प्रतियोगी परीक्षा नहीं लिया जायेगा।

(!!) अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर अपलोड किये गये मेरिट (वरीयता) सूची अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जावेगा।

(!!!) किसी भी शाकसीय/अर्धशासकीय/निगम/मण्डल में संविदा/दैनिक वेतन/तदर्थ नियुक्ति पर कार्यरत तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आवेदित पद का ही नियुक्ति में अनुभव का अतिरिक्त अंक दिया जावेगा। प्रतिवर्ष अनुभव के लिए 01 अंक प्रदान किये जायेंगे। अनुभव के लिए अधिकतम 05 अंक

निर्धारित है। 01 वर्ष की गणना नियुक्ति तिथि से 01 वर्ष होना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र केवल आवेदित पद पर कार्य करने का ही मान्य किया जावेगा। आवेदित पद के अतिरिक्त अन्य पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। अनुभव के अंक के लिए नियोक्ता द्वारा जावक नम्बर सहित जारी किये गये अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। आवेदक को आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा। किसी भी निजि संस्था के द्वारा प्रदत्त किया गया अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जायेगा। आवश्यक हो तो चयनित उमीदवारों का अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन जारीकर्ता अधिकारी से कराया जा सकेगा। यदि प्रमाण पत्र गलत पाया जाएगा तो वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी तथा आवेदन एवं चयन अमान्य किया जावेगा।

(!!!!) सभी पदों की शैक्षणिक योग्यता में यदि किसी आवेदक को कक्षा की अंक सूची में प्रतिशत उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया है, तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जायेगा। औसत प्रतिशत इस प्रकार है :—

ग्रेड	अंकों प्रतिशत	प्रतिशत
ग्रेड- ए+	91-100	95
ग्रेड- ए	81-90	85
ग्रेड- बी	66-80	73
ग्रेड- सी	51-65	58
ग्रेड- डी	36-50	43

ग्रेड को अंक / प्रतिशत में परिवर्तन :-

यदि अभ्यर्थी को ग्रेड ए प्राप्त है एवं अनुभव 03 वर्ष है, तो उपरोक्त तालिका के अनुसार ग्रेड-ए 81-90 प्रतिशत का औसत प्रतिशत 85 प्रतिशत होगा। अनुभव का 03 वर्ष का 03 अंक होगा (औसत प्रतिशत $85 \times 95 / 100 = 80.75$ अंक होगा। एवं अनुभव का औसत प्रतिशत अंक $80.75 + \text{अनुभव का अंक } 03 = 83.75$ अंक होगा।) इसी प्रकार सभी अभ्यर्थियों के ग्रेड को प्राप्तांक/प्रतिशत में परिवर्तन कर वरीयता तैयार किया जायेगा। अंक में दशमलव के बाद के दो अंक ही मान्य होंगे।

उदाहरण :— 83.756 की स्थिति में 83.75 होगा। इसी आधार पर वरीयता सूची तैयार की जायेगी। उपरोक्त तैयार वरियता सूची के 05 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जायेगा। जिनका कौशल परीक्षा नियत तिथि को लिया जायेगा। कौशल परीक्षा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके लिए कोई अंक देय नहीं होगा। सामान्य प्रतिशत में प्राप्तांक की गणना उपरोक्तानुसार ही की जायेगी।

- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी। (उम्र में बड़े होंगे) उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- उपरोक्त चयन प्रक्रिया की प्रत्येक चरण की दावा-आपत्ति का प्रकाशन जिले के वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा।
- आरक्षण नियम का पालन किया गया है।

(05) अनर्हताएँ :-

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अर्हताएँ होगी :-

- कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें। परन्तु यदि नियोक्ता को इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाये, मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ्य या सेवा पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जायें।
- कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, वह किसी सो या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- राज्य शासन/केन्द्रीय शासन द्वारा अवचार के दोषी/निलंबित/बर्खास्त/ब्लैक लिस्टेड किया हुआ व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(06) प्रतीक्षा सूची :- प्रतीक्षा सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश दिनांक से एक वर्ष के लिए वैध रहेगी।

कलेक्टर

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
बलौदाबाजार दिनांक 30.05.2023

पृ.क्रमांक / ५४२ / वि.लि. / 2023

प्रतिलिपि:-

- सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
- सचिव, छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
- संचालक, छ.ग.शासन जनसम्पर्क विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को विज्ञापन प्रकाशन हेतु प्रेषित।
- संचालक, संचालनालय सैनिक कल्याण, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ।
- आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा को विज्ञापन की छायाप्रति जिले की वेबसाइट में तत्काल अपलोड किये जाने हेतु।
- सहायक संचालक, जनसम्पर्क बलौदाबाजार-भाटापारा को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
- जिला नाजिर जिला कार्यालय बलौदाबाजार को कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

कलेक्टर

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

आवेदन पत्र का प्रारूप

(सहायक ग्रेड-03 / स्टेनोटायपिस्ट / वाहन चालक / भृत्य / अर्दली / चौकीदार / फर्रश / प्रोसेस सर्वर)
(आवेदित पद का नाम)

प्रति,

कलेक्टर,
जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा (छ.ग.)

अभ्यर्थी स्व
सत्यापित फोटो
चस्पा करें।

1. आवेदक / आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) _____
(अंग्रेजी के केपीटल लेटर में) _____
 2. पिता / पति का पूरा नाम _____
 3. माता का नाम _____
 4. जन्मतिथि (अंकों में)
जन्मतिथि (शब्दों में) _____
 5. 01.01.2023 को आयु
(5वीं / 8वीं / 10वीं का मार्कशीट संलग्न करें) _____
 6. लिंग (महिला / पुरुष / तृतीय लिंग) _____
 7. आवेदक की जाति
(कृपया जाति अंकित करें)
जाति प्रवर्ग अना./अ.ज.जा./अ.जा./अपिव
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
 8. आयु सीमा में छूट चाहते हैं हाँ/ नहीं _____
 9. यदि छूट चाहते हैं तो छूट का आधार
(प्रमाण पत्र संलग्न करें) _____
 10. छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी/मूल निवासी है हाँ/ नहीं (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें) _____
 11. क्या आप दिव्यांग श्रेणी के हैं (हाँ/ नहीं) _____
 12. आवेदक किस प्रकार की निःशक्तता से बाधित है _____
(श्रवण / दृष्टि / अस्थि / अन्य)
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें) _____
 13. स्थायी निवास का पता _____
- पिन कोड.....

14. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता

पिन कोड

मोबाईल नंबर

15. शैक्षणिक योग्यता (स्व सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/स्कूल/संस्था का नाम स्कूल का नाम व पता	परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

16. क्या आप शासकीय/अद्वशासकीय संस्था में वर्तमान में सेवारत हैं (हाँ/नहीं)

अ— धारित पद का नाम

—

ब— कार्य की अवधि दिनांक से तक कुल अवधि वर्ष

स— नियोक्ता/कार्यालय का नाम पता

17. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? —

यदि हाँ तो विवरण देवें

18. क्या आप विवाहित हैं हाँ/नहीं —

यदि हाँ तो विवाह की तिथि अंकित करें

19. जीवित संतानों की कुल संख्या —

20. क्या आवेदक/आवेदिका के विरुद्ध कोई दाइडक

प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय से अनुसंधान
/विचारण हेतु लंबित है अथवा किसी न्यायालय में
निराकृत हो चेका है? हाँ तो संबंधित अधिनियम एवं
धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की
जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

21. आवेदित पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे सत्यापित दस्तावेजों का विवरण

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं

आत्मज/आत्मजा/पति श्री

द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम विश्वास और ज्ञान के अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, चयन के पूर्व या उसके बाद गलत अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जायेगी। यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा तथ्य छुपाये जाने अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करने की स्थिति में या नियुक्ति हेतु किसी प्रकार की अपात्रता का प्रमाण मिलने पर मेरा चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियुक्ति संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जायेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :-
स्थान :-

नाम :-
मो.नं:-